नागरिक शिकायत सूचना पतर

ZÅ $\Re >V$ के सदस्य नयायोचित, पर्भावी और निष्पक्ष ढंग से कानून लागू कराने रूपी सेवा देने केलिए पर्तिबद्ध हैं। यह सभी केसर्वोत्तम हित में है कि किसी विशेष अधिकारी केपर्दशनर् केबारे में आपकी शिकायत को नयायोचित ढंग से और शीघर्ता से हल किया जाए। आपकी शिकायत की जाँच केलिए पुलिस विभाग केपास औपचारिक पर्किर्याएँ हैं। इन पर्किर्याओं का डिजाइन नागरिकों और कानून लागू कराने वाले अधिकारियों, दोनों केअधिकारों की रक्षा करने और निष्पक्षता सुनिश्चत करने केलिए किया गया है:

- 1. गुमनाम सर्ोतों सहित किसी भी वियक्त से अधिकारी / कमचार्री केबारे में कदाचार की रिपोर्ट या शिकायत किसी भी समय स्वीकार की जानी चाहिए।
- 2. शिकायतकर्ता की आयु, नस्ल, नस्ल, धर्म, लिंग, यौन अभिविन्यास, विकलांगता या आवर्जन स्थिति की परवाह किए बिना शिकायत स्वीकार किया जाएगा।
- आपकी शिकायत को किसी उच्चाधिकारी या आंतरिक मामलों केलिए विशेष रूप से पर्शिक्षित अधिकारी केपास भेजा जाएगा जो मामले की विस्तृत और उद्देश यपूर्ण जाँच करेंगे।
- 4. आपको घटना केबारे में विस्तृत विवरण दे कर जाँच में मदद करने केलिए कहा जा सकता है कि क्या हुआ था या / और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध कराने केलिए कहा जा सकता है।
- 5. कानून लागू कराने वाले अधिकारियों केविस्द्ध सभी शिकायतों की विस्तृत जाँच की जाती है। यदि अनुरोध किया जाता है, तो आपको जाँच की स्थिति और उसकेअंतिम परिणाम से अवगत कराया जाएगा, और आप संपर्क जानकारी पर्दान करते हैं। अधिरोपित सटीक सजा गोपनीय है, लेकिन जाँच केअंतिम परिणाम केबारे में आपको सूचित किया जाएगा, अथातर्:
 - शिकायत की वैधता मान ली गई: सबूतों को देखने से पता चलता है कि अधिकारी ने किसी कानून; विनियमन; महान्यायवादी
 (अटॉर्नी जनरल) या काउंटी अभियोजक द्वारा जारी किए गए आदेश, दिशानिर्देश, नीति या पर्किर्या; एजेंसी पर्ोटोकॉल;
 परिचालन पर्किर्या; सिद्धांत; या पर्शिक्षण का उल्लंघन किया है।
 - b. शिकायत निराधार पाया गया: सबूतों को देखने से पता चलता है कि कथित कदाचार नहीं हुआ था।
 - दोषमुक्त कर दिया गया: सबूतों को देखने से पता चलता है कि कथित आचरण हुआ था, लेकिन किसी भी कानून; विनियमन;
 महान् यायवादी (अटॉर्नी जनरल) या काउंटी अभियोजक द्वारा जारी किए गए आदेश, दिशानिर्देश, नीति या पर्किर्या; एजेंसी परोटोकॉल; परिचालन पर्किर्या; सिंदधांत; या पर्शिक्षण का उल्लंघन नहीं किया गया था।
 - d. शिकायत अवैध है: आरोप को रूपष्ट रूप से साबित करने या खारिज करने में जाँच पयाप्तर् सबूतों का खुलासा करने में विफल रहा।
- 6. यदि हमारी जाँच यह दशातीर् है कि अपराध किया गया हो सकता है, तो काउंटी अभियोजक को सूचित किया जाएगा। आपको अदालत में गवाही देने केलिए कहा जा सकता है।
- 7. यदि हमारी जाँच केपरिणामस्वस्प किसी अधिकारी पर विभाग केनियमों केउल लंघन का आरोप लगाया जाता है, तो विभागीय सुनवाई में आपको गवाही देने केलिए कहा जा सकता है।
- 8. यदि हमारी जाँच दर्शा ती है कि शिकायत निराधार है या अधिकारी ने ठीक से काम किया है तो मामला बंद कर दिया जाएगा।
- 9. आंतरिक मामलों की जाँच गोपनीय है और सभी अनुशासनाट मक सुनवाई जनता केलिए बंद रहेगी, जब तक कि पर्तिवादी अधिकारी खुली सुनवाई का अनुरोध नहीं करता है।
- 10. यदि आपके पास अपने मामले के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी या पर्श न है, तो आप IA@emersonpd.org ईमेल भेज सकते हैं।

विभाग / एजेंसी : <u>एमर्सन पुलिस विभाग</u>

· ·		
IA केस नंबर		

आंतरिक मामलों को रिपोर्ट करने के लिए फार्म						
रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति (वैकल्पिक, लेकिन सहायक)						
पूरा नाम		फोन	पसंदीदा?			
पता (अपार्टमेंट #)		ई-मेल	□			
शहर, राज्य, जिप	जन्म की त	गरीख				
	आरोप के अधीन अधिकारी (जो भी जानकारी	है, उसे दें)				
अधिकारी(ओं) का नाम	बैज	। नंबर				
घटना स्थल	तारीख।	समय				
	तेए अतिरिक्त पृष्ठों का उपयोग कर सकते हैं, और उसे इस दस्तावेज व चान करने के लिए कोई अन्य जानकारी प्रदान करें।					
	अन्य जानकारी					
कोई भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत 	ी? कोन के माध्यम से □ पत्र के द्वारा □ ई-मेल से □ अन्य <u></u> ि किया? □ हाँ □ नहीं यदि हाँ, तो वर्णन करें: 					
रपट प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा पूरा किया जाएगा						
शिकायत प्राप्त करने वाला र	अधिकारी	बैज नंबर	तारीख / समय			
	 वाले पर्यवेक्षक	 बैज नंबर	—			